न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 20/2007

श्री लादू सिंह पुत्र श्री अनोप सिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

श्री छीतर पुत्र श्री घीसा जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर

.....*अप्रार्थी*

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

———

उपस्थित :– 1. श्री दिलीप सिंह राठौड़ वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका वकील अप्रार्थी की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 17.06.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 20.01.1983 को ग्राम भगवानपुरा में आयोजित राजस्व कैम्प में श्री छीतर पुत्र श्री घीसा जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम भगवानपुरा के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 43 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा में से 8 बीघा 17 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण के विचाराधीन रहते अप्रार्थी की मृत्यु हो जाने पर मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब नोटिस पेश नहीं करने पर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये विन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छिपा कर इस आधार पर भूमि का आवंटन करवाया है कि उसके पास ग्राम भगवानपुरा एवं अन्य किसी भी स्थान पर कृषि भूमि नहीं है तथा वह एक भूमिहीन काश्तकार है जबकि आवंटी के नाम ग्राम भगवानपुरा में खेवट खतौनी संख्या नया 223 पुराना 219 में कुल खसरा नम्बर 47 कुल रकबा 153 बीघा 4 विस्वा आराजी में पुश्तैनी हक व हिस्सा नीहित था। छल कपट पूर्वक तथ्यों को छिपाकर करवाया गया भूमि का आवंटन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी निरस्त करवाया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T. 2005(1) पेज 634 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा प्रतिपादित न्यायिक द्रष्टांत की ओर आकर्षित किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के आवंटन पश्चात् आदिनांक तक कभी भी काश्त नहीं की है तथा तथ्यों को छिपा कर राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर नामान्तकरण संख्या 422 दिनांक 04.12.2004 से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी का अंकन करवा लिया है। उनका यह भी कथन है कि आवंटन नियम 14 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि आवंटी को भू आवंटन पश्चात् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू भाग पर फसल काश्त करना आवश्यक है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.B.T (20) 2013 पेज 12 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। आंवटी द्वारा विवादित भूमि के आवंटन बाबत् कमेटी के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा काफी प्रयास करने के बावजूद प्रार्थना पत्र की सत्य प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि सार्वजानिक हित की भूमि है जो ग्रामवासियों के मवेशियों को चरने एवं रास्ते के उपयोग में आ रही है, इसी कारण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 23.08.2007 को प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा विवादित भूमि चारागाह हेतु आरक्षित करने बाबत् जिला कलक्टर को निवेदन किया गया था। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग में आने के कारण अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई तथा न ही उनके द्वारा भूमि पर काश्त की गई। उनके द्वारा इस तथ्य के समर्थन में खसरा गिरदावरी भी पेश नहीं की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

हिस्से में केवल 9.5 बीघा भूमि ही आती है। हम वकील अप्रार्थी के इन कथनों से सहमत है कि नियम 14(3) के आधार पर कि आवंटी ने दो वर्ष में भूमि काश्त नहीं की इस कारण आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। हम वकील अप्रार्थी के इन कथनों से भी सहमत है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन के 25 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता तथा न ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक **17.06.2016** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner